



पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

उपरवारा, अटल नगर (छ.ग.)
(पूर्व नाम- छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)
(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष / फ़ैक्स: 07712263234
ई-मेल: healthuniversitycg@yahoo.com

क्रमांक/ 838 / D.U.H.S./गोप./2019

रायपुर, दिनांक 23/05/2019

प्रति,

समस्त केन्द्राध्यक्ष,
नर्सिंग परीक्षा केन्द्र

विषय : उत्तरपुस्तिका के संबंध में निर्देश।

-----000-----

प्रायः यह देखा गया है कि छात्र उत्तरपुस्तिकाओं में आधे से अधिक पेज की मार्जिन और एक पंक्ति छोड़ कर लिखते हैं तथा कई छात्र लेफ्ट साईड के सभी पेज में नहीं लिखते हैं। इससे अनावश्यक स्टेशनरी का दुरुपयोग होता है एवं वे पूरक उत्तरपुस्तिका मांगते हैं।

अतः परीक्षा आरंभ करने से पहले प्रत्येक केन्द्राध्यक्ष ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वीक्षक परीक्षा शुरू होने से पहले इन तथ्यों को अवगत कराते हुए छात्र/छात्राओं को स्पष्ट निर्देश दें कि उत्तरपुस्तिका में प्रत्येक पेज के प्रत्येक पंक्ति में लिखना अनिवार्य है, अनावश्यक पूरक उत्तरपुस्तिका नहीं दी जावेगी। यदि कोई छात्र उत्तरपुस्तिका की मांग करता है तो वीक्षक यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी ने मुख्य उत्तरपुस्तिका का पूर्ण उपयोग किया है अथवा नहीं। पूर्ण उपयोग की स्थिति में ही उत्तरपुस्तिका दी जावे।

ऐसे केन्द्र जहाँ नर्सिंग की परीक्षा चल रही हो कुछ प्रश्न पत्रों में खंड 'अ' और खंड 'ब' के दो पृथक प्रश्न पत्र हैं परंतु उत्तरपुस्तिका एक ही दी जावेगी। छात्र/छात्राएं उसी एक उत्तरपुस्तिका में खंड 'अ' और खंड 'ब' स्वयं बनाकर खंड 'अ' के उत्तर खंड 'अ' में तथा खंड 'ब' के उत्तर खंड 'ब' में ही बनाएँ।


परीक्षा नियंत्रक